"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2012—कार्तिक 8, शक 1934

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-1/2012/तक. शिक्षा/42.—राज्य शासन एतद्द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के विद्यार्थियों से बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर को दृष्टिगत रखते हुये "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना" शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रभावशील करता है. योजना की शर्तें संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

परिशिष्ट–अ

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान योजना

1. **परिचय** — राज्य के मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. शिक्षा के क्षेत्र में व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है एवं उच्च शिक्षा, विशेषकर, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों पर व्यय भार भी अत्यधिक है. केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (अधिकतम वार्षिक आय रु. 4.5 लाख) से आने वाले तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों के लिए एक नई योजना संचालित की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक ऋण योजना में मोरेटोरियम अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है. परंतु ऋण की मोरेटोरियम अवधि के पश्चात् किसी प्रकार का लाभ कमजोर वर्ग के छात्रों को नहीं मिल पा रहा है. तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान की योजना बनाई गई है. यह योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से आरंभ होगी.

2. **योजना का उद्देश्य**— शैक्षणिक ऋण में ब्याज अनुदान की योजना का उद्देश्य रु. 2.00 लाख तक की वार्षिक आय के परिवार से आने वाले तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि एवं नौकरी लगने के उपरांत एक वर्ष अथवा छः महीना जो भी पहले हो) के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज के भार में छूट प्रदान करना है. राज्य शासन की ब्याज अनुदान योजना का लाभ मोरेटोरियम अवधि के उपरांत भी शिक्षार्थियों द्वारा लिये गये ऋण पर आने वाले ब्याज भार कम करने के लिए रहेगा. मोरेटोरियम अवधि के उपरांत केवल 4 प्रतिशत की दर से ब्याज भार को शिक्षार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा एवं बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज दर के शेष का व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा.

3. **अर्हता**—

   3.1 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए.

   3.2 परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2.00 लाख रुपये हो.

   3.3 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं सक्षम प्राधिकारी (यथा एआईसीटीई, यूजीसी) से मान्यता प्राप्त तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लिया हो.

   3.4 ब्याज अनुदान किसी भी शिक्षार्थी को केवल एक बार प्रथम स्नातक/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा प्रथम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ही दिया जायेगा.

   3.5 छत्तीसगढ़ के बाहर उच्च कोटि के राष्ट्रीय स्तर के ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिन्हें राज्य शासन द्वारा इस योजना के लाभ हेतु अधिसूचित किया गया है, में किसी तकनीकी अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो.

4. **आय का प्रमाण पत्र**— योजना का लाभ अधिकतम (सभी स्त्रोतों से) रु. 2.00 लाख तक की वार्षिक आय से आने वाले शिक्षार्थियों को मिलेगा. राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा.

5. **ऋण की अधिकतम सीमा**— विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित फीस के अनुसार अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर ही योजना का लाभ मिल सकेगा.

6. **ब्याज अनुदान की अन्य शर्तें**—

   6.1 शिक्षार्थियों को ऋण राशि की अदायगी नियमित रूप से संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित समान मासिक किश्तों में करना अनिवार्य है. नियमित रूप से समय पर निर्धारित मासिक किश्त नहीं चुकाने पर शासन की ब्याज अनुदान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

   6.2 योजना का लाभ उन शिक्षार्थियों को नहीं मिलेगा जो बीच में पाठ्यक्रम में शिक्षा लेना छोड़ देते हैं अथवा जिन्हें अनुशासनिक आधार पर संस्थान द्वारा संस्थान से निकाल दिया जाता है.

6.3 अपवाद की स्थिति में, केवल चिकित्सीय आधार पर पाठ्यक्रम में निरंतरता बाधित होने पर (अधिकतम एक वर्ष तक के लिए) व्याज अनुदान का लाभ मिल सकेगा तथा ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जो संबंधित संस्थान को जिसमें शिक्षार्थी अध्ययनरत हैं, मान्य हो.

6.4 अनुदान राज्य के भीतर के उन्हीं संस्थानों के ऐसे पाठ्यक्रमों पर लागू होगा जो पाठ्यक्रम भारत शासन की व्याज अनुदान योजना में शामिल है.

6.5 राज्य के बाहर के उच्च कोटि के राष्ट्रीय स्तर के ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिसे राज्य शासन द्वारा इस योजना हेतु अधिसूचित किया जाएगा.

7. **योजना का क्रियान्वयन**— राज्य शासन द्वारा वहन की जाने वाली व्याज भार की राशि की प्रतिपूर्ति, बैंकों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर, सीधे बैंकों को की जायेगी. इस हेतु राज्य शासन द्वारा केनरा बैंक को नोडल बैंक चयनित किया गया है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.